न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 04/2023 दायर दिनांक 04.04.2023
जीसीएमएस नं. 2023/24 निर्णय दिनांक 15.09.2025

उनवान

ललित पिता नारायण लबाना निवासी माडा तहसील गामडी अहाडा जिला डूंगरपुर।

– अपीलाण्ट

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार गामडी अहाडा, तहसील गामडी अहाडा, जिला डूँगरपुर
2. पटवारी, पटवार मण्डल माडा तहसील गामडी अहाडा, जिला डूंगरपुर

– रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री कृष्णराज सिंह ।
2. राजकीय पैरोकार ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:निर्णयः– *दिनांक– 15.09.2025*

1. अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत पेश किया है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गामडी अहाडा द्वारा पारित निर्णय प्रकरण संख्या 04/2022 दिनांक 08.02.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है । मौजा माडा के खसरा संख्या 3036 कुल रकबा 0.2400 हैक्टेयर किस्म बिलानाम गै.मु. रास्ता में से 0.0024 हैक्टेयर पर अपीलार्थी द्वारा निर्माण कार्य किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम माडा के खसरा नम्बर 3036 रकबा 0.24 हैक्टेयर की भूमि पर ग्राम वासियों के अपने–अपने कुडे (खाद डालने का स्थान) बने हुए थे जिसमें वर्तमान में चार ही लोग खाद डाल रहे है तथा बाकी सभी पर जिन–जिन के कुडे थे ,उस पर भवन व कमरे एवं पास वाले खेत वालो ने अतिक्रमण कर लिये है। अपीलार्थी भी अपने दादा–परदादा के समय से वादग्रस्त भूमि पर कुडे के रूप में उपयोग विगत 100 वर्षो से करता आ रहा है। अपीलार्थी के कुडे के पास ही ग्राम पंचायत माडा के वर्तमान उप सरपंच रमेश लबाना का भी कुडा है। रमेश लबाना

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

द्वारा अपीलार्थी के कुडे के परकोटे को जे.सी.वी. लगाकर तोड दिया व अपीलार्थी का खाद जो उस कुडे में था वह भी चोरी कर लिया अपीलार्थी उक्त कुडे मे विगत चालीस वर्षो पूर्व कमरा बना हुआ था वह अपीलार्थी ने जैसे तैसे सुरक्षित रखा। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध ग्राम पंचायत माडा के उप सरपंच रमेश लबाना द्वारा दुर्भावना पूर्वक कार्यवाही की है तथा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का दुरूपयोग किया है। जबकि उक्त कुडे की भूमि जिस पर अपीलार्थी का 100 वर्षो पूर्व बाप दादाओं के समय से कब्जा है वह पुराने कब्जे के आधार पर नियमन किये जाने योग्य है।

ग्राम पंचायत माडा के उपसरपंच रमेश लबाना द्वारा जान–बूझकर अपीलार्थी के खिलाफ ही धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की गयी है, जबकि इस खसरे में अन्य लोगों के भी अतिक्रमण है। राजू लबाना नामक व्यक्ति का मकान बना हुआ है एवं रमेश लबाना स्वंय द्वारा भूमि को समतल कर प्लॉट बना दिया गया है जो यह दर्शित करता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध दुर्भावना पूर्वक कार्यवाही की है। संपूर्ण खसरे पर कब्जे के संबंध में रिपोर्ट तलब कर इस खसरे पर स्थित समस्त अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना न्यायसंगत है।
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही का समन जारी किया गया जो अपीलार्थी को प्राप्त होने पर समन मिलते ही अपीलार्थी द्वारा संबंधित पत्रावली की संपर्ण मिसल की नकल चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र 19.10.2022 की आदेशिका खसरा परिवर्तित व मौका पर्चा की प्रतियां उपलब्ध कराई गयी है परन्तु उक्त कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र किसके द्वारा किया गया है उसकी कोई प्रति नहीं दी गई ऐसी स्थिति मे अपीलार्थी ने विस्तृत जवाब देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हुए जवाब प्रस्तुत किया था लेकिन कार्यवाही हेतु प्रार्थान पत्र किसके द्वारा दिया गया इसकी कोई जानकारी एवं प्रार्थना पत्र की प्रति अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुई।
अपीलार्थी का अपने पूर्वजों के समय से करीब 100 वर्ष पुराना कब्जा होने बाबत् जवाब अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया तथा उक्त भूमि का उपयोग अपने मवेशियों को गोबर एकत्रित करने के लिये कुडे के रूप में किये जाने का कथन किया है तथा पुराने कब्जे के आधार पर नियमानुसार शुल्क जमा लेकर नियमन किये जाने का निवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किया इसके बावजूद अपीलार्थी को बेदखल करने का निर्णय कर भारी कानूनी भूल की है।
अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ तहसीलदार गामडी अहाडा का प्रकरण संख्या 04/2022 निर्णय आदेश दिनांक 08.01.2023 को निरस्त करना फरमावे।

3 हमने उभयपक्ष की बहस सूनी।

4 अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा बहस में अपील के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा माडा के खसरा संख्या 3036 कुल रकबा 0.2400 हैक्टेयर किस्म बिलानाम गै.मु. रास्ता में से 0.0024 हैक्टेयर पर अपीलार्थी द्वारा निर्माण कार्य किया गया है। जिस पर अधीनस्थ

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम माडा के खसरा नम्बर 3036 रकबा 0.24 हैक्टेयर की भूमि पर ग्राम वासियों के अपने—अपने कुडे (खाद डालने का स्थान) बने हुए थे। प्रार्थी भी अपने दादा—परदादा के समय से वादग्रस्त भूमि पर कुडे के रूप में उपयोग विगत 100 वर्षो से करता आ रहा है।

ग्राम पंचायत माडा के उपसरपंच द्वारा जान—बूझकर अपीलार्थी के खिलाफ धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही की गयी है, जबकि इस खसरे में अन्य लोगों के भी अतिक्रमण है। संपूर्ण खसरे पर कब्जे के संबंध में रिपोर्ट तलब कर इस खसरे पर स्थित समस्त अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना न्यायसंगत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही का समन जारी किया गया जो अपीलार्थी को प्राप्त होने पर समन मिलते ही अपीलार्थी द्वारा संबंधित पत्रावली की संपर्ण मिसल की नकल चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र 19.10.2022 की आदेशिका खसरा परिवर्तित व मौका पर्चा की प्रतियां उपलब्ध कराई गयी है परन्तु उक्त कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र किसके द्वारा किया गया है उसकी कोई प्रति नहीं दी गई। ऐसी स्थिति मे अपीलार्थी ने विस्तृत जवाब देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हुए जवाब प्रस्तुत किया था लेकिन कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र किसके द्वारा दिया गया इसकी कोई जानकारी एवं प्रार्थना पत्र की प्रति अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुई।

अपीलार्थी का अपने पूर्वजों के समय से करीब 100 वर्ष पुराना कब्जा होने बाबत् जवाब अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया तथा उक्त भूमि का उपयोग अपने मवेशियों को गोबर एकत्रित करने के लिये कुडे के रूप में किये जाने का कथन किया है तथा पुराने कब्जे के आधार पर नियमानुसार शुल्क जमा लेकर नियमन किये जाने का निवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किया इसके बावजूद अपीलार्थी को बेदखल करने का निर्णय कर भारी कानूनी भूल की है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ तहसीलदार गामडी अहाडा का प्रकरण संख्या 04 / 2022 निर्णय आदेश दिनांक 08.01.2023 को निरस्त करना फरमावे।

5. रेस्पोडेण्ट पैरोकार सरकार तहसीलदार गामडी अहाडा ने अपनी बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राजस्व गांव माडा के खसरा न. 3036 रकबा 0.24 है0 किस्म बिलानाम गै. मु0 रास्ता में से 0.0024 है0 भूमि पर प्रार्थी ललीत पिता नारायण लबाना निवासी माडा द्वारा निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी हल्का एवं भू0अ0 निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त अपीलाण्ट द्वारा राजकीय बिलानाम भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण करना पाया गया। अतः राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के दृष्टिगत नियमानुसार धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

6. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड/दस्तावेज का ध्यायनपूर्वक अवलोकन किया। मौजा माडा तहसील गामडी अहाडा के खसरा न. 3036 कुल रकबा 0.24 है0 भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में बिलानाम गै.मु0 रास्ता है, उक्त भूमि में से 0.0024 है0 पर अतिक्रमी श्री ललीत पिता नारायण लबाना निवासी माडा द्वारा पक्का निर्माण कार्य किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। वादग्रस्त आराजी जिस पर अतिक्रमी के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गामडी अहाडा द्वारा आदेश पारित किया गया हैं, यह आराजी राजस्व रिकोर्ड में बिलानाम गै.मु0 रास्ता दर्ज खसरा न. 3036 कुल रकबा 0.24 है0 है। अतिक्रमी द्वारा इस आराजी पर पक्का निर्माण कार्य किया गया हैं, जिसे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गामडी अहाडा के निर्णय दिनांक 08.02.2023 द्वारा विधिवत रूप से सुनवाई करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें इस अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गामडी अहाडा का प्रकरण सं. 04/2022 में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर